


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या- 1973/2015.....जिला.....पाली.....

उनवान- श्री अमराराम पुत्र श्री गमनारामजी, घांची, सुमेरपुर बनाम राजस्थान सरकार जरिये उप पंजीयक, सुमेरपुर व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इ हुक्म की तामीर में जारी हुए
17.02.2016	<p style="text-align: center;">एकलपीठ <u>श्री मनोहर पुरी-सदस्य</u></p> <p>प्रार्थी निगरानीकर्ता के विद्वान अभिभाषक श्री के.जी.खत्री एवं अप्रार्थी संख्या एक की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी. ओझा उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी के अभिभाषक की ओर से विद्वान करने के संबंध में हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 16.02.2016 प्रस्तुत किया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है, जिसमें प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी राज्य सरकार द्वारा स्टाम्प प्रकरण में दी जाने वाली छूट का फायदा उठाने वास्ते उक्त प्रकरण को आगे चलाना नहीं चाहता है व प्रकरण को विद्वान करना चाहता है। अतः प्रकरण को विद्वान करने की अनुमति प्रदान करे।</p> <p>इस पर विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने प्रस्तुत निगरानी को विद्वान करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की है।</p> <p>फलस्वरूप प्रार्थी निगरानीकर्ता जरिये अभिभाषक द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र के आधार पर हस्तगत निगरानी विद्वान करने की अनुमति दी जाती है। अतः प्रस्तुत निगरानी संख्या 1973/2015/पाली जरिये (Withdrawal) खारिज की जाती हैं।</p> <p>आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">                       (मनोहर पुरी)                      सदस्य                 </p>	